मु .नं.37 / 2022 शान्तादेवी बनाम रूपाराम वगैरह

05.11.2024

पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप.। वकील अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 ने जवाब पेश नही किया अतः इनका जवाब बंद किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 7 फार्मल पक्षकार होने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थीया वकील ने अपने तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया, कि मौजा धानता पटवार हल्का अरणाय तहसील सांचौर के नये खेत खसरा नम्बर क्रमशः 10056, 1176, 1177, 1182, 159/1299, 166, 963, 964, 965, 966 जुमले रकबा 10.67 हैक्टयर व खसरा नम्बर क्रमशः 75, 76, 77, 78 जुमले रकबा 3.88 हैक्टयर भूमि पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी आई हुई है। मुझ प्रार्थीया के दादा मोती वल्द पूंजा जो आज से करीब 7 वर्ष पूर्व फौत हुए उक्त आराजी मुझ प्रार्थीया की पैतृक सम्पति होने से हिन्दू उताराधिकारी अधिनियम की धारा 6 के अनुसर मुझ प्रार्थीया का बर्थ हक व हिस्सा बनता है किन्तु आराजी में मेरे दादा की फौतेदगी के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 ने मुझ प्रार्थीया को मेरे हक व हिस्से की भूमि से महरूम रखने कि नियत से स्वर्गीय मोती वल्द पूंजा की फौतेदगी के पश्चात अप्रार्थी संख्या 1,2,3 ने उनके नाम खातेदारी दर्ज करवाई जबकि उक्त आराजी में 1/5 हिस्सा मुझ प्रार्थीया का काश्त व कब्जा है उक्त आराजी पुश्तैनी होने से अप्रार्थी संख्या 1 नेके 1/3 हिस्से में से 1/5 हिस्सा मुझ प्रार्थीया का होते हुए अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से मिलावट कर 1/3 हिस्से की भूमि की खातेदारी कानून से परे जाकर उकने नाम दर्ज करवा दी जबकि ऐसा करने का अप्रार्थी संख्या 1 को कतई अधिकार न तो था तथा न ही है। मुझ प्रार्थीया की शादी के बाद मेरे सुसुराल से मेरे 1/5 हिस्से की भूमि पर काश्त करने हेतु आती जाती रहती हूँ। मुझ प्रार्थीया ने अप्राथी संख्या 1 के पास गई व इस प्रकार मेरे हक व हिस्से की भूमि मेरे नाम खातेदारी दर्ज करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने मुझे एलानिया धमकी दी कि खातेदारी मैंने अकेले के नाम करवा दी है तथा मैं तेरे हक–हिस्से व कब्जे वाली भूमि किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान कर तुझे मौके से बेदखल करवा दूंगा। प्रार्थीया ने एक मजबूत एवं ठोस आधारों पर अप्रार्थीगण के विरूद्व वाद पेश कर दिया। अप्रार्थीगण कानून से परे जाकर उक्त वादग्रस्त आराजी किसी व्यक्ति को बैचान कर मुझ प्रार्थीया को डंडो के बल पर मेरे हक व हिस्से की भूमि से बेदखल कर देगें अगर ऐसा हुआ तो मुझ प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी। तीनो मूलभूत बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में है। अतः वादग्रस्त आराजी का अप्रार्थीगण मूल वाद ताफैसला तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थित बनाये रखे। इस आश्य की अंतरिम अस्थाई निशेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पांबद फरमावे।

हमनें वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी होना प्रकट होता है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के वि[illegible] रूप से पस्त किया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के [illegible] वाद ताफैसला जारी की जाती है कि मौजा [illegible] रणाय तहसील सांचौर के नये खेत खसरा नम्बर क्रमशः 10056 [illegible] 1177, 1182, 159/1299, 166, 963, 964, 965, 966 जुमले रकबा 10.67 हैक्टयर व खसरा नम्बर क्रमशः 75, 76, 77, 78 जुमले रकबा [illegible]88 हैक्टयर भूमि में अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थित बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.12 17:29:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner